

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०- 44/2016-17

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
9.11.2022	Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तनान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक <u>8.12.2022</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	
8.12.2022	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०. दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म <u>-----</u>) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:- मौजा <u>शाली</u> थाना नं० <u>274</u> खाता सं० <u>80</u> प्लॉट सं० <u>190/1</u> रकबा <u>2.00</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म <u>-----</u> अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द सं० <u>3</u> के पृष्ठ सं० <u>141</u> पर जमाबंदी रैयत <u>परमेश्वर</u> <u>मिस्त्री पिता हुसेनी मिस्त्री</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित	

मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।
अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

24.12.2022 अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में झारखण्ड ग्राम निरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट पत्र सं०-2928, लगान रसीद वर्ष 2015-16, 2016-2017, 2022-23 समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।
अभिलेख दिनांक 7.01.2023 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

7.1.2023

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा उत्ती मौजा नं० 234 खाता सं० 80 प्लॉट सं० 790 रकबा 2.0205 किस्म — खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि भू-दान द्वारा कार्यालय, डालटनगंज, पलामू के द्वारा प्रपत्र-5 में प्राप्त है जिसका क्रम सं० 2028/11.0.13 है। उक्त भूमि का DCLR/SDO के द्वारा लगान निर्धारण नहीं हुआ है। तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अवैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 141/13 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

**संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला
चेक-लिस्ट**

1. जिला एवं अंचल का नाम - पल्लार, इन्टरफ़र

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
<u>परमेश्वर मिस्त्री</u>	<u>डाली</u>	<u>274</u>	<u>80</u>	<u>790</u>	<u>2.00</u>	<u>गैरजाली मालीक</u>	आधीलप में मूल जमीन मालीक
<u>पिया- दुखेरी मिस्त्री</u>							आधीलप में मूल जमीन मालीक

इस कारण किंग स्पष्ट
नहीं हो पा रहा है।

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- परती खेत

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- परिवर्तन के लिए अधिकार प्राप्त करने
जमाबंदी संधारण वर्ष दर्ज नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले
कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों
के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार
तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में
संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

परिवर्तन के लिए अधिकार
प्राप्त करने में कुछ दर्ज नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी
के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(क) अनिबंधित, सादा हुकुमनामा :-

भाग पंजी-ए के चेकस्पष्ट
विवरण दर्ज नहीं है।

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष
(वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा
में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक) :-

15/5 15/5

अवैध जमाबंदी की जाँच किंवा राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा साखिल रिटर्न से

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित बंदोबस्ती पंजी से

(ग) साखिल-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

अंचल अधीनस्थ
मौजद चालु भाग के
एवं खरीफ ले

10. (क) अवैध जमाबंदी तथा दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है :- **नहीं**

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- **नहीं**

11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-58 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :- **नहीं**

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड-बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- **नहीं**

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

मौजा एल्की के खाना ख. 80 लॉट 790 रुबरा 2.00 रुबरा का मोगांधी-11 डेपोजिशन 141/3 पर फरेखा गिन्नी 50 हुसैनी गिन्नी के बाज से दर्ज है मोगांधी होने का कोई आधार स्पष्ट नहीं है मोगांधी रसद से उक्त रुबरा भूदान द्वारा अधीनस्थ जमीन के द्वारा प्रपत्र-5 में प्राप्त है जिसका क्रम सं. 2928/11013 है उस भूमि का डी.ए. 12/500 के द्वारा मोगांधी निर्यात नहीं हुआ। यह जमीन मोगांधी खाने की खाने है लेकिन स्थिति में अभी मोगांधी होने के कारण प्रतिवेदन लॉट का क्रम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। एल्की गिन्नी में यह मोगांधी अधीनस्थ अंकित होता है भूतः अग्रेतर कावाई होने जांच प्रतिवेदन अधीनस्थ

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया, वहीं पाया गया। अतः उपरोक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा किया जा सकता है।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

भूमि-सुधार उप समाहर्ता,
छत्तरपुर।

अनुमंडल पदा.,
छत्तरपुर।

अपर समाहर्ता,
पलामू।

उपायुक्त
पलामू

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- प/नेश्वा निस्ती 5/0 डुसेनी निस्ती
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 3 पृष्ठ सं: 141/3 पर कायम है

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा (र.)
बली	274	80	790	2.00

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- प/नेश्वा निस्ती 5/0 डुसेनी निस्ती जमाबंदी संख्या 102 के तहत है
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- ज/मजहरा मलिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- नहीं है
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार प/नेश्वा निस्ती 5/0 डुसेनी निस्ती के तहत है (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :-
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी (भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) :- चाहु कांज पंजी 15 एवं लगीपान से जांच किया गया।

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
01	पंजी 15 के तहत	पंजी 15 के तहत	85-86
02	ज/मजहरा मलिक	ज/मजहरा मलिक	87-88
03	नहीं है	नहीं है	88-89
04			04-05

PSJ

PSJ

2022-23

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं० 44 / 20-16-17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम: राजीव रंजन विश्वकर्मा

पिता - परमेश्वर विश्वकर्मा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा डाक्री थाना नं०.....
खाता सं० 80 खेसरा नं० 790/1 रकबा 200 से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० 10 के पंजी-II भाग 1 के पृष्ठ 143/3 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्ट्या राजस्व उपनिरीक्षक ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा
कर दी जायेगी।

राजीव रंजन विश्वकर्मा

mob:- 7004240524

24.12.22



इसे संरक्षित ताकिद जाने।

अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।